

अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 27.04.2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित 67 वीं प्राधिकरण बैठक का कार्यवृत्त।

MINUTES OF THE 67th AUTHORITY MEETING HELD ON 27.04.2024 IN HYBRID MODE, UNDER THE CHAIRMANSHIP OF DEVELOPMENT COMMISSIONER/CHAIRPERSON, SEEPZ-SEZ AUTHORITY.

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

The following were present:-

1. श्री सी.पी.एस. चौहान, सदस्य/सचिव संयुक्त विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़		1. Shri C.P.S Chauhan, JDC,SEEPZ SEZ	Member/ Secretary
2. श्री अभय दोशी, प्रबंध निदेशक, मेसर्स फाइन लाइन सर्किट्स लिमिटेड	सदस्य	2. Shri Abhay Doshi, MD, M/s. Fine Line Circuits Ltd.	Member
3 श्री आदिल कोतवाल, अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेसर्स क्रिएशन्स ज्वेलरी एमएफजी प्राइवेट लिमिटेड	सदस्य	3. Shri Adil Kotwal, Chairman/ CEO M/s.Creations Jewellery Mfg. Pvt. Ltd.	Member
4. श्री हिमांशु धर पांडे, विदेश व्यापार उप महानिदेशक	सदस्य	4. Shri Himanshu Dhar Pandey, Dy. Directorate General of Foreign Trade	Member
डॉ प्रसाद वरवंटकर, उप .5 विकास आयुक्त, सीपज़- सेज़	संपदा अधिकारी	5. Dr.Prasad Varwantkar, DDC, SEEPZ-SEZ	Estate officer

श्री हनीश राठी, सहायक विकास आयुक्त, (सुरक्षा/आईटी), श्रीमती रेखा नायर, सहायक विकास आयुक्त, (ई एंड आर/कानूनी), श्री रवींद्र कुमार, सहायक और श्री जनेश त्रिपाठी, एलडीसी और श्री जगदीश एलडीसी भी बैठक में सहायता और सुचारू संचालन के लिए उपस्थित हुए।

Shri Hanish Rathi, ADC (Security/IT & E-Procurement), Shri. Palash Kumar, ADC; Smt. Rekha Nair, ADC (E&R/Legal), Shri Rajesh Kumar, UDC and Shri Janesh Tripathi, LDC also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.

The Chairperson welcomed all the members present and thereafter agenda of the meeting was taken up.

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और उसके बाद बैठक की एजेंडे पर विचार किया गया।

कार्यसूची मद सं. 1:- दिनांक 27.03.2024 को आयोजित 66 वीं प्राधिकरण बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने सर्वसम्मति से 27.03.2024 को आयोजित

Agenda Item No. 1:- Confirmation of the Minutes of the 66th Authority meeting held on 27.03.2024.

Decision: After deliberation, the Authority confirmed the Minutes of the meeting held

बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की

on 27.03.2024 with consensus.

कार्यसूची मद सं. 1- क:- सीपज़- सेज़ के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विस्तृत वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुमोदन का

Agenda Item No. 1A:- Proposal for approval of detailed Annual Financial Statements for F.Y. 2024-25 of SEEPZ-SEZ.

प्रस्ताव प्राधिकरण को 2023-24 के वित्तीय विवरण की तुलना में 2024-25 के विस्तृत वित्तीय विवरण के संबंध में अवगत कराया गया।

Authority was apprised with respect to the detailed financial statement of 2024-25 in comparison to the financial statement of 2023-24

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने 2024-25 के वित्तीय बजट को मंजूरी दे दी।

Decision: After deliberation, the Authority approved the financial budget of 2024-25.

प्राधिकरण का यह भी मानना है कि किराये का काफी बकाया है। इसलिए किराये की बकाया राशि की वसूली के लिए प्रयास शुरू करने की जरूरत है।

Authority also held the view that there are lot of outstanding rental dues. Hence efforts need to be initiated for recovery of rental dues.

इसके अलावा, प्राधिकरण ने निम्नलिखित के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में प्रावधान करने का भी निर्देश दिया:

Further, the Authority also directed to make provision in Annual Budget for the Financial Year 2024-25 in respect of the following :

1. कौशल एवं प्रशिक्षण स्कूल 'जोश' के लिए 12 करोड़ रुपये।
2. प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए 50 लाख रुपये। प्राधिकरण निधि का उपयोग अतिरिक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ उन क्षेत्रों में व्यापार को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है जहां सहायता की आवश्यकता होती है।

1. Rs. 1.2 Crores for Skilling & Training School 'JOSH'.
2. Rs. 50 Lakh for training purpose. The Authority fund can be utilised for training of additional staff as well as imparting training to the Trade in areas wherein handholding is required.

कार्यसूची मद सं. 2:- अग्रदाय के माध्यम से किया गया मासिक विवरण व्यय प्राधिकरण की 65 वीं बैठक के निर्देशों के मद्देनजर, प्राधिकरण को अग्रदाय के माध्यम से किए गए 1,21,564 रुपये के विस्तृत खर्च की जानकारी दी गई।

Agenda Item No. 2:- Monthly Statement Expenditure incurred through Imprest.

In view of the directions of the 65th Authority meeting, Authority was intimated the detailed expenses incurred through Imprest amounting to Rs. 1,21,564

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने अग्रदाय के माध्यम से किए गए मासिक विवरण व्यय के प्रस्ताव पर ध्यान दिया।

Decision: After deliberation, the Authority noted the proposal of monthly statement expenditure incurred through Imprest.

कार्यसूची मद सं. 3 : जी ए डिजिटल वेब वर्ड प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 10,41,662/- रुपये की राशि के संबंध में प्रशासन से सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को भुगतान की वापसी की सूचना।

Agenda Item No. 3:- Intimation of refund of payment from Administration to SEEPZ-SEZ Authority in respect of G. A. Digital Web Word Pvt Ltd. amounting to Rs.10,41,662/-.

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि प्राधिकरण निधि के माध्यम से मेसर्स जी ए डिजिटल वेब वर्ड प्राइवेट लिमिटेड को किए

Authority was informed that the payment made to M/s. G.A. Digital Web Word Pvt. Ltd. through Authority fund amounting to Rs. 10,41,662/- has

गए भुगतान की राशि रु. 10,41,662/- की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के बजट से प्राधिकरण को कर दी गई है।

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने भारत सरकार के बजट से प्राप्त भुगतान की प्रतिपूर्ति की सूचना को नोट किया।

कार्यसूची मद सं. 4:- एसडीएफ-द्वितीय में लिफ्ट रूम की मरम्मत के लिए एसडीएफ- II यूनिट धारकों का प्रस्ताव।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, एसडीएफ-II वर्क्स कमेटी ने सूचित किया था कि एसडीएफ-II में लिफ्ट रूम को तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है और इसलिए लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए लिफ्ट रूम की मरम्मत के लिए विभिन्न से तीन कोटेशन प्राप्त किए थे और विक्रेता दरें सबसे कम हैं। उचित और लिफ्ट रूम की मरम्मत एसडीएफ-II यूनिटधारकों द्वारा अपनी लागत पर की जा सकती है।

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि प्राधिकरण को ऐसे मरम्मत कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करनी होगी और बोलियां आमंत्रित करनी होंगी और यूनिटधारक स्वेच्छा से लिफ्ट रूम की मरम्मत कार्य शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं।

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने कहा कि कार्य अत्यावश्यक प्रकृति का है और यदि व्यय प्राधिकरण निधि से किया जाना आवश्यक है तो बोली प्रक्रिया फिर से करनी होगी। इसलिए प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि यूनिटधारकों को एल 1 विक्रेता के साथ काम करना चाहिए जो कि 5,97,155.00/- रुपये है।

यह एक संयुक्त प्रयास है, उचित परिश्रम का पालन किया जाना चाहिए और एसडीएफ-द्वितीय के प्रत्येक यूनिटधारक से प्राप्त संतोषजनक रिपोर्ट और एसडीएफ-II भवन के लिफ्ट रूम की उचित मरम्मत के बाद और लागत से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य और एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। भवन के सभी रहने वालों को प्राधिकरण लागत का 50% प्रतिपूर्ति करेगा।

-:कार्यसूची मद सं. 5

been re-imbursed from the Gol budget to Authority.

Decision: After deliberation, the Authority noted the intimation of re-imburement of the payment received from Govt. of India budget.

Agenda Item No. 4:- Proposal of SDF-II unit holders for repairing the lift room in SDF-II.

Authority was apprised that, SDF-II Works Committee had informed that lift room in SDF-II needs urgent repairs and hence had obtained three quotations from various for repair of the lift room in order to safe guard the human life and the lowest vendor rates are reasonable & can be repaired the lift room by SDF-II unitholders at their own cost.

Authority was informed that Authority will have to initiate tendering process and inviting bids for such repair work and the Unitholders have voluntarily agreed to initiate repair work of the lift room.

Decision: - After deliberation, Authority noted that the work is of urgent nature and the bidding process has to be done again, if the expenditure is required to be done from Authority fund. So Authority decided that the unitholders should carry out work with L1 vendor i.e. Rs. 5,97,155.00/-

This being a combined effort, due diligence to be followed and satisfactory report to the obtained from each Unitholder of SDF-II and after due repair of the lift room of SDF-II building and submission of documentary evidences related to the cost and a certificate from all occupants of the building, the Authority will re-imburse 50% of the cost.

Agenda Item No. 5:-

A. ए और बी प्रकार की इमारतों, सीपज़-सेज़ स्टाफ आवासीय कॉलोनी, सेक्टर-VII में मानसून शेड कार्य का प्रस्ताव
सीपज़-सेज़ स्टाफ आवासीय कॉलोनी .B
सेक्टर-VII के लिए नए टॉवर का
| प्रस्ताव

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, SEEPZ-SEZ आवासीय कर्मचारी क्वार्टर अर्थात् A और B प्रकार क्वार्टर का निर्माण लगभग 40 साल पहले MIDC द्वारा किया गया था।

एमआईडीसी ने पिछले 15 साल पहले वॉटरप्रूफिंग का काम किया था। हालाँकि, वर्तमान में सीपज़ कॉलोनी में क्वार्टरों में रहने वाले आवासीय आवंटियों को मानसून के दौरान रिसाव, सीपेज से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और भारी दरारें बन गई हैं, जिससे उक्त क्वार्टरों में रहना मुश्किल हो गया है। इसलिए वॉटरप्रूफिंग कार्य का क्रियान्वयन आगामी मानसून की शुरुआत से पहले प्राथमिकता से किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि एमआईडीसी द्वारा लगभग 25-30 करोड़ रुपये की लागत से नए टॉवर के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने
:निर्देश दिया

1. मानसून शेड के निर्माण के लिए
- मानसून शेड के निर्माण के लिए भवन की संरचनात्मक स्थिरता पर एमआईडीसी से तत्काल राय लें और 15 दिनों के भीतर निर्णय प्रस्तुत करें।

2. नये टावर के निर्माण हेतु -
विकास आयुक्त के समक्ष
आवश्यक पृष्ठभूमि कार्य के लिए
प्रस्ताव रखा जायेगा.

-:कार्यसूची मद सं. 6

सीपज़-सेज़ में बीएफसी बिल्डिंग के .1
ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक स्वास्थ्य

A. The proposal for the monsoon shed work at A & B type Buildings, SEEPZ-SEZ Staff Residential Colony, Sector-VII

B. The Proposal for New Tower for SEEPZ-SEZ Staff Residential Colony Sector-VII Authority was apprised that SEEPZ-SEZ Residential Staff Quarters namely A & B type Quarter was constructed approx. 40 years back by MIDC.

MIDC had carried out the waterproofing work in the past 15 years back. However, presently residential allottees residing in the Quarters in SEEPZ colony are facing issues related to Leakages, Seepages during the monsoon and heavy cracks have been built up which makes it difficult to reside in the said quarters. Hence the execution of waterproofing work needs to be done on priority before the onset of the coming monsoon.

Authority was also apprised that a proposal of construction of new Tower was submitted by MIDC costing to approx. Rs. 25 –Rs. 30 crs.

Decision: - After deliberation, the Authority directed:

1. For construction of monsoon shed – seek urgent opinion from MIDC on the structural stability of the Bldg. for construction of monsoon shed and submit the decision within 15 days.
2. For construction of New Tower – The proposal to be placed before the Development Commissioner for necessary background work..

Agenda Item No. 6:-

1. Consideration of proposal of applicant M/s MEDI-G plus Health and Medical

क्लिनिक स्थापित करने के लिए आवेदक मेसर्स मेडी-जी प्लस हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार।

ओएचसी (उपकरण, नागरिक बुनियादी ढांचे, फर्नीचर और विविध व्यय) की स्थापना के लिए रु. 10 लाख/- की अनुमानित लागत

3. दिनांक 01.05.2024 से ओएचसी को चालू करने के लिए डॉक्टर, नर्सिंग और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति को मंजूरी।

प्राधिकरण को बताया गया कि 27.03.2024 में आयोजित 66 वीं प्राधिकरण बैठक में ओएचसी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी और SEEPZ में काम करने वाले सभी लोगों के लाभ के लिए एक व्यावसायिक स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित करने के लिए बुनियादी ढांचे और उपकरण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई थी।

तदनुसार रुचि की अभिव्यक्ति सीपज़ वेबसाइट पर होस्ट की गई और कार्यालय को सीपज़-सेज़ में ग्राउंड फ्लोर बीएफसी बिल्डिंग में ओएचसी (व्यावसायिक स्वास्थ्य क्लिनिक) स्थापित करने के लिए मेसर्स मेडी-जी प्लस हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से 1 आवेदन प्राप्त हुआ।

ओएचसी की स्थापना के लिए अस्थायी लागत लगभग 10 लाख रुपये है जिसमें उपकरण, नागरिक बुनियादी ढांचा, फर्नीचर और अन्य विविध शामिल हैं। खर्च।

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि उक्त प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर उसका उद्घाटन 01.05.2024 पर शुरू किया जा सकता है।

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने यह विचार रखा कि, ओएचसी की यह प्रारंभिक स्थापना यूनिटधारकों और एसईईपीजेड स्टाफ के कर्मचारियों के लाभ के लिए है, स्थापना के लिए मेसर्स मेडी जी प्लस हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ओएचसी के संचालन के लिए डॉक्टरों ,

Services Pvt Ltd for Setting up an Occupational Health Clinic (OHC) at Ground Floor BFC Building in SEEPZ SEZ.

2. Estimated Cost of Rs.10 Lac/- for setting up OHC (Equipments, Civil Infrastructure, furniture and Misc expenses)
3. Approval for hiring of doctor, nursing & other paramedical staff to operationalize the OHC from 01.05.2024.

Authority was apprised that, the proposal for setting up an OHC was approved in 66th Authority Meeting which was held in 27.03.2024 and it was agreed to provide the infrastructure and equipments for setting up an Occupational Health Clinic for the benefits of all, working at SEEPZ.

Accordingly Expression of Interest was hosted on SEEPZ Website and office received 1 application from M/s MEDI-G plus Health and Medical Services Pvt Ltd for Setting up an OHC (Occupational Health Clinic) at Ground Floor BFC Building in SEEPZ SEZ.

The tentative cost for setting up OHC is approx. Rs. 10 lakhs which includes Equipments, civil infrastructure, furniture and other misc. expenses.

Authority was informed that on approval of the said proposal, the inauguration of the same can be initiated on 01.05.2024

Decision: - After deliberation, the Authority held the view that, this being the initial set up of OHC for the benefit of the employees of the Unitholders and SEEPZ Staff, approved the proposal of M/s. Medi G plus Health & Medical Services Pvt. Ltd. for setting up an OHC and the estimated cost of Rs. 10 lakhs alongwith hiring of doctors, nursing and other paramedical staff for operationalization of the OHC.

नर्सिंग और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के साथ-साथ 10 लाख रुपये की अनुमानित लागत अनुमति की गई।

प्राधिकरण ने यह भी निर्देश दिया कि कर्मचारियों को नियमित जांच के अलावा एक्स-रे, आंखों की जांच की अतिरिक्त सेवाएं भी प्रदान की जाएं।

प्राधिकरण ने आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त उपकरणों की खरीद के लिए 50 लाख रुपये के अनुमानित बजट का प्रावधान करने और तौर-तरीकों को परिभाषित करने और मेसर्स मेडी जी प्लस हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर और प्रतिनिधि के साथ एक समझौता ज्ञापन का मसौदा एक सप्ताह के अंदर तैयार करने का भी निर्देश दिया।

कार्यसूची मद सं. 7:- आवागमन के उद्देश्य से प्राधिकरण वाहन का उपयोग करने की मंजूरी के लिए अनुरोध।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, डीडीसी/संपदा अधिकारी ने सूचित किया है कि वह संपदा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और वरिष्ठों के निर्देशानुसार विभिन्न प्राधिकरणों के कार्यों को संभालते हैं। इसलिए, जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए, वह कई सरकारी विभागों और कार्यालयों का दौरा करने के लिए जब भी आवश्यक हो, प्राधिकरण निधि से किराए पर लिए गए वाहन का उपयोग करता है, कभी-कभी घर से पिकअप के लिए या कार्यालय समय से परे देर से काम के लिए वाहन की आवश्यकता होती है, दोनों के भीतर और कार्यालय परिसर के बाहर. ऐसे भी उदाहरण हैं जहां ड्रॉप-ऑफ़ सेवाओं के लिए वाहन की आवश्यकता होती है।

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

कार्यसूची मद सं. 8:- सीपज़-सेज़ की 51 वीं स्थापना दिवस वर्षगांठ का आयोजन और इस माइलस्टोन के समारोह के आयोजन हेतु वित्तीय बजट की मंजूरी।

प्राधिकरण को बताया गया कि, सीपज़-सेज़ को 1 मई, 1973 से चालू किया गया था और सीपज़-सेज़ स्थापना दिवस की 51 वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर, इस मील के पत्थर

Authority also directed that other than regular check up, additional services of X-ray, eye checkup to be provided to the employees.

Authority also directed to make a provision of an anticipated budget of Rs. 50 lakhs for purchase of additional equipments as and when necessary and define modalities and draft a MOU with the doctor & representative of M/s. Medi G plus Health & Medical Services Pvt. Ltd. within a week's time.

Agenda Item No. 7:- Request for Approval to use Authority Vehicle for Commuting purpose.

Authority was apprised that, DDC/ Estate Officer has informed that he is serving as Estate Officer and handle various authorities' tasks as directed by superiors. Hence, in order to fulfill the responsibilities effectively, he utilizes the vehicle hired from the Authority Fund as and when necessary to visit multiple government departments and offices, sometimes requiring the vehicle for pickups from home or for late work extending beyond office hours, both within and outside the office premises. There are also instances where the vehicle is needed for drop-off services.

Decision:- After deliberation, the Authority approved the proposal.

Agenda Item No. 8:- Observance of 51st anniversary of SEEPZ SEZ Foundation Day and financial approval of budget for celebration of this milestone.

Authority was apprised that, SEEPZ-SEZ was operationalized with effect from 1st May, 1973 and on the eve of the 51st anniversary of SEEPZ SEZ foundation day, some events have been planned to celebrate

का जश्र मनाने के लिए कुछ कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जो कि सीपज़ स्वास्थ्य सेवा केंद्र का उद्घाटन है), सांस्कृतिक / सभा / कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम। इन गतिविधियों पर अनुमानित व्यय 10,00,000/- रुपये होगा।

निर्णय: - विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

कार्यसूची मद सं. 9:- बायोमिथेनाइजेशन गैस प्लांट के संबंध में मुकदमेबाजी मामले के अद्यतन पर प्राधिकरण को अवगत कराना।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि मेसर्स अशोक बायोग्रीन द्वारा बायो-मेथेनाइजेशन प्लांट की फौजदारी पर मुकदमे के मद्देनजर, माननीय उच्च न्यायालय ने 2.93 करोड़ रुपये और 10.5 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित डिक्री का भुगतान करने का निर्देश दिया था। मध्यस्थ निर्णय के अनुसार फरवरी 2020 से आज तक सीपज़ प्रशासन ने उक्त डिक्री को चुनौती दी थी और स्थगन आवेदन दायर किया था। उक्त मामले को 29.04.2024 पर सूचीबद्ध किया जाना था। हालाँकि, वेबसाइट से पता चलता है कि मामला सूचीबद्ध नहीं था और इसके बारे में प्राधिकरण को सूचित किया गया था कि अधिवक्ता को तत्काल बोर्ड पर रखने का अनुरोध किया जाएगा।

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने प्रस्ताव को नोट किया और विचार रखा कि उक्त मामले में निर्णय के आधार पर राशि जमा करने का निर्णय लिया जाना चाहिए।

-: कार्यसूची मद सं. 10

सीपज़ सेज़ जोन में एक ई -मार्केटप्लेस (सीपज़-स्टोर/सीपज़-कनेक्ट) विकसित करने का प्रस्ताव।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि सीपज़प्रशासन अपने स्वयं के ई -मार्केट प्लेस को विकसित करने की व्यवहार्यता का पता लगा सकता है, जिसमें सभी यूनिटधारक अपने उत्पादों/आभूषणों का प्रदर्शन और बिक्री कर सकते हैं। उक्त सुविधा ई -मार्केट प्लेस का लाभ उठाने और इकाई की ब्रांड दृश्यता और पहचान को बढ़ाने में मदद करेगी और यह मंच उपकरण और संसाधन

this milestone i.e. Inauguration of SEEPZ SWASTHYA SEVA KENDRA (SSSK), Cultural / Gathering / event and cultural event. The approx expenditure for these activities will be Rs.10,00,000/-.

Decision: - After deliberation, the Authority approved the proposal.

Agenda Item No. 9:- To apprise the Authority on the updation of the litigation case w.r.t. Biomethanization Gas plant.

Authority was apprised that in view of the litigation on the foreclosure of the bio-methanization plant by M/s. Ashok Biogreen, Hon'ble High Court had directed to make a payment of the decree of Rs. 2.93 cr. plus interest @ 10.5 p.a. w.e.f. Feb 2020 till date as per the arbitral award. SEEPZ Administration had challenged the said decree and filed a stay application. The said matter was to be listed on 29.04.2024. However, it is seen from the website that the matter was not listed and thereof it was informed to the Authority that Advocate will be requested to place urgently on board.

Decision: - After deliberation, the Authority noted the proposal and held the view that based on the judicial development in the said matter, a decision should be taken to deposit the amount.

Agenda Item No. 10

Proposal for developing an e-Marketplace (Seepz-Store/ Seepz- Connect) at SEEPZ SEZ Zone.

Authority was apprised that SEEPZ Administration can explore the feasibility of developing its own e-market place, wherein all the Unitholders can showcase and sell their products/jewellery. The said facility will help in leveraging the e-market place and enhance the Unit's brand visibility and recognition and this platform will also provide tools and resources which will enable units to establish and promote their unique brand identities.

भी प्रदान करेगा जो इकाइयों को अपनी विशिष्ट ब्रांड पहचान स्थापित करने और बढ़ावा देने में सक्षम करेगा।

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने डिजिटल मार्केटिंग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी।

प्राधिकरण ने भूमिकाओं और तौर-तरीकों को परिभाषित करने के लिए व्यापार के सदस्यों की एक समिति बनाने का भी सुझाव दिया। तदनुसार, जांच के लिए व्यापार सदस्यों और डीडीसी की एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त कार्य के लिए निम्नलिखित व्यापार सदस्यों को सुझाव दिया गया था:

1. श्री. हीरल पारेख- मेसर्स मीनल इन्फोज्वेल्स लिमिटेड
2. श्री. अनुज धामानी- मेसर्स नवग्रह जेम्स प्राइवेट लिमिटेड

Decision: After deliberation, the Authority had granted in-principal approval for digital marketing.

Authority also suggested to form a Committee of members from the Trade to define the roles and modalities for the marketplace. Accordingly it was decided to form a Committee of trade members and DDC to examine. Following trade members were suggested for the above work:

1. Shri. Hiral Parekh- M/s. Minal Infojewels Ltd
2. Shri. Anuj Dhamani- M/s. Navgraha Gems Pvt Ltd

बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

यह सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

This issues with the approval of the Chairperson, SEEPZ SEZ Authority.



(डॉ. प्रसाद वरवंतकर)

उप विकास आयुक्त,
सीपज़ सेज़,

सदस्य/सचिव